दिनांक 09.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 468/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद तथा मेरठ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 09.09.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद तथा मेरठ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद इकाई द्वारा ओमवीर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट गनेशघाट थाना मूण्डापाण्डे तहसील व जनपद मुरादाबाद से दिनांक 17.04.2026 के आदेश को आनलाइन न्यायालय साईट पर चढ़ाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक मो0 इश्तियाक के नेतृत्व में उपसंचालक चकबन्दी कार्यालय मुरादाबाद के कार्यालय में बने कमरे से **वरिष्ठ सहायक/पेशकार सुभाषचन्द्र (कार्यालय उपसंचालक चकबन्दी जनपद मुरादाबाद)** पुत्र साधुराम निवासी हकीकतनगर थाना सदर कोतवाली जनपद सहारनपुर को **50 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई द्वारा दलसिंह निवासी ग्राम आलमपुर बुजुर्ग थाना मण्डावली जनपद मेरठ से धारा 24 की कार्यवाही के लिए जमीन की माप/पैमाईश करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक कैलाशचन्द्र के नेतृत्व में कक्ष संख्या-18, तहसील सदर मेरठ से **राजस्व निरीक्षक धर्मपाल सिंह (तहसील सदर मेरठ)** पुत्र घोलूराम निवासी पहाड़पुर थाना मवाना जनपद मेरठ को **30 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 09.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 469/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–126

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09.09.2026 को थाना सेक्टर–126 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ओखला मेट्रो स्टेशन के पीछे फुटओवर ब्रिज, कालिन्दी कुंज रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर–20 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–126 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुरेश निवासी देवमई थाना बकेवर जनपद फतेहपुर।

कमिश्नरेट आगरा/थाना कागारौल

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 लाख 01 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 08.09.2026 को थाना कागारौल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शंकरपुर रोड पर नगला परमान के पास से अभियुक्त भरत को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख 01 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16/17.07.2026 की रात्रि थाना कागारौल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कागारौल पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कागारौल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भरत निवासी ग्राम नगला सांवला मनखेड़ा थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के 03 लाख 01 हजार रूपये नगद।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मडियांव

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 24 हजार 700 रूपये नगद**
- **01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 08.09.2026 की रात्रि थाना मडियांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1– संदीप 2– अरविन्द 3– कुनाल 4–जावेद अख्तर 5–सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 24 हजार 700 रूपये नगद, 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त संदीप शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध मुम्बई व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मडियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी पीपलगांव थाना पथर्डी तालुका जनपद अहमदनगर (अहिल्यानगर) महाराष्ट्र।

2–अरविन्द निवासी ग्राम भरुआ पोस्ट सरवट थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।

3–कुनाल निवासी पीपलगांव बसवन्त थाना लासनगांव जनपद नासिक महाराष्ट्र।

4–जावेद अख्तर निवासी तिलकनगर सेंटा क्रूज ब्रिज के बगल थाना तिलकनगर कुर्ला, चेम्बूर मुम्बई।

5–सोनू निवासी बेलवा बनघुसरा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 24 हजार 700 रूपये नगद।

2–01 दो पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना एक्सप्रेस वे

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 14 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के पीली धातु के आभूषण, 03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09.09.2026 को थाना एक्सप्रेस वे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–168 नोएडा के पास से 02 अभियुक्तों 1–सुमित 2–सुमित बाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 14 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के पीली धातु के आभूषण, 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना एक्सप्रेस वे पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुमित निवासी ग्राम सतरोही थाना सहावर जनपद कासगंज, हालपता एफ–ब्लॉक जे0जे0 कॉलोनी वजीरपुर थाना भरतपुर दिल्ली।

2–सुमित बाल्मीकि निवासी ग्राम मेहोना थाना उझानी जनपद बदायूं, हालपता ग्राम शाहपुर सेक्टर–128 थाना सेक्टर–126 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 14 हजार 500 रूपये नगद।

2–चोरी के पीली धातु के आभूषण, 03 मोबाइल फोन।

3– 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेज–2

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 09.09.2026 को थाना फेज–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ट्रान्सपोर्ट नगर तिराहा कट के पास सेक्टर–88 से 02 अभियुक्तों 1–कृष्ण उर्फ लेफ्टी 2–मोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त कृष्ण उर्फ लेफ्टी के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त मोहित के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फेज–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कृष्ण उर्फ लेफ्टी निवासी बड़ागांव थाना हरतुआगंज जनपद अलीगढ़, हालपता कुलेसरा थाना इकोटेक–3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2—मोहित निवासी भदेधू थाना राजापुर जनपद चित्रकूट, हालपता नगला चरणदास थाना फेस—2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 11 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना नानौता

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 590 ग्राम अवैध स्मैक**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 09.09.2026 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन रोड गत्ता फैक्ट्री खण्डर से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 03 अभियुक्तों 1—नौशाद 2—कलीम 3—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 590 ग्राम अवैध स्मैक, 02 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नौशाद निवासी मो0चाहमन्जली कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

2—कलीम निवासी मो0हबीबगढ़ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

3—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 590 ग्राम अवैध स्मैक।

2—02 मोबाइल फोन।

- **<u>जनपद एटा/थाना जलेसर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जलेसर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रंजीत को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना खदौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना खदौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनमोहन उर्फ कालू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।